

06.09.2021 / भत्ताबली प्रेशा हुई। पार्थी एवं पार्थी अधिवक्ता  
उमास्वैत नहीं। क्रमशः तीन बार आवाज लगाई  
गई। इसके उपरान्त भी पार्थी एवं पार्थी अधिवक्ता  
उमास्वैत नहीं। अतः प्रकार पार्थी एवं पार्थी  
अधिवक्ता की अदम हाजरी एवं अदम मैरवी  
में स्वारिज किया जाता है। प्रकार नंबर  
से कम हो।

जिला इन्स्पेक्टर  
नीलवाड़ा  
22/09/2021